**संख्या-20/2021/630/33-3-2021-100(16)/2018**

**प्रेषक,**

**गिरिजेश कुमार,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

**पंचायती राज अनुभाग-3** **लखनऊ: दिनांक: 10 मार्च, 2021**

**विषय- जिला पंचायतों में कांजी हाउसों की स्थापना/पुनर्निमाण हेतु धनराशि रू. 287.02 लाख अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 के पत्र संख्या-3856/33-सेल/2021 दिनांक 27.01.2021 एवं पत्र संख्या-3832/33-सेल/2021 दिनांक 21.01.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-21 में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-101-पंचायतीराज-10-जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का पुनर्निमाण/स्थापना एवं संचालन-24-वृहत निर्माण कार्य हेतु प्रावधानित धनराशि रू. 600.00 लाख में से प्रथम किश्त की धनराशि **रू. 287.02 लाख (रू. दो करोड़ सतासी लाख दो हजार मात्र)** को निम्नानुसार अंकित विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

| क्र.सं. | जिला पंचायत का नाम | निर्माण कराये जाने वाले कांजी हाउसों की संख्या | निर्माण की लागत (लाख रू. में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | मुरादाबाद | 6 | 19.26 |
| 2 | सुल्तानपुर | 3 | 75.97 |
| 3 | संतकबीरनगर | 3 | 30.00 |
| 4 | बलरामपुर | 16 | 140.23 |
| 5 | कुशीनगर | - | 21.56 |
| कुल योग | | 28 | **287.02** |

(1) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कांजी हाउसों हेतु निर्विवाद भूमि उपलब्ध है।

(2) पूर्व से निर्मित कांजी हाउसों की मरम्मत तथा नये कांजी हाउसों का निर्माण, लोक निर्माण विभाग के अद्यतन एस.ओ.आर. के आधार पर आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रश्नगत कांजी हाउसों के संचालन/निर्माण हेतु जो कार्य प्रश्नगत योजना की प्रावधानित धनराशि से कराये जायेंगें उन कार्यों हेतु अन्य किसी योजना से शासकीय धनराशि प्राप्त नहीं की जायेगी।

(4) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानित अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) निर्माण एवं व्यय के दौरान सम्बन्धित वित्तीय नियमों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि के आहरण/व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित गाइडलाइन्स/दिशा-निर्देश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का दायित्व निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(6) धनराशि के कोषागार से आरण एवं व्यय के दौरान वित्तीय नियमों के अनुपालन का दायित्व विभाग में तैनात वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी जिन मदों के लिए इसकी स्वीकृति दी जा रही है।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) योजनान्तर्गत धनराशि के व्यय के दौरान निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत किसी अन्य मद/योजना से धनराशि व्यय न हो ताकि योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(10) प्रश्नगत योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण के उपरान्त किसी ऐसे बैंक खाते में रखा जाता है जहां से ब्याज अर्जित होता हो उसे राजकोष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(12) धनराशि कोषगार से तभी आहरित की जायेगी जब इसके व्यय की तात्कालिक आवश्यकता हो।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(15) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 एवं समय/समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(17) उक्त के अतिरिक्त विषयक योजना के क्रियान्वयन हेतु अन्य अपेक्षित शर्तों का समावेश निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 स्वयं करेंगें।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**2-** यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0स0-ई-2-264/X-2021 दिनांक- 10.03.2021 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

**( गिरिजेश कुमार)**
अनु सचिव।

**<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ।

3- समस्त संबंधित जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- समस्त संबंधित कोषाधिकारी,उ0प्र0।

6- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2

7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**( गिरिजेश कुमार)**
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।